न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 198/2021 तारीख रजू:—19.02.2021

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. देवीसिंह
2. नाहरसिंह

पिसरान किन्दूरी, जाति जाट, निवासी खेडी हैवत तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ———— सायलान

बनाम

1. साहबसिंह पुत्र किन्दूरी
2. बीरेन्द्र
3. गजेन्द्र

पिसरान साहबसिंह जाति जाट, निवासी खेडी हैवत, तहसील सूरौठ, जिला करौली, राजस्थान।

4. तहसीलदारजी तहसील सूरौठ, जिला करौली, राजस्थान———— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः—1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायल

निर्णय

दिनांक :— 26.11.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया गया है कि सायलान ने इस सम्मानीय अदालत हाजा में गैरसायलान के विरुद्ध उक्त उनवान का दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर दिया है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी—पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया गया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.23 है0, 1437 रकबा 0.01 है0, 1438 रकबा 0.01 है0, 1439 रकबा 1.77 है0, कुल किता 4, कुल रकबा 2.02 है0 स्थित ग्राम खेड़ी हैवत, तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ में सायलान प्रत्येक बहिस्सा 1/3, 1/3 एवं गैरसायल संख्या 1 बहिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया गया है कि सायलान एवं गैरसायल संख्या 1 सहोदर भाई हैं, लेकिन आराजीयात के विधिवत बंटवारे के अभाव में डोल—मेड़ को लेकर सायलान एवं गैरसायलान के मध्य आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। जिसके निस्तारण बाबत सायलान ने गैरसायल संख्या 1 से आराजीयात के विधिवत बंटवारे हेतु कहा, तो गैरसायलान ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम हमारे हिस्से का ऐसे डण्डे वाले लोगों को बेचान कर रहे हैं, जो तुमसे तुम्हारा हिस्सा भी डंडे के बल पर छीन लेंगे और

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बंटवारे की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सायलान ने गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयास किया, मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं हैं। इसलिए दावा व संबंधित प्रार्थना पत्र टी.आई. पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया गया है कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबों में कामयाब हो गए तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार 'इन टर्म्स ऑफ मनी' होना संभव नहीं होगा, जबकि गैरसायलान को पाबंद फरमाने से उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया गया है कि इस तरह 'प्राइमाफेसी' केस व सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिए आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजीयात खसरा नम्बरान 1435, 1437, 1438, 1439 कुल किता 4 कुल रकबा 2.02 हेक्टेयर स्थित ग्राम खेड़ी हैवत, तहसील सूरौठ से सायलान को बेदखल नहीं करें। बिना विधिवत बंटवारे के आराजी में निर्माण कार्य नहीं करें, आराजीयात का बेचान नहीं करें तथा रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब करने हेतु वकील सायलान ने रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये। किन्तु मूल वाद पत्र में गैरसायल सं01 व 2 की ओर से श्री शान्तिलाल करसौलिया एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया जा चुका है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में उनकी ओर से कोई बकालतनामा पेश नहीं किया।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 पेश की हैं।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.23 है0, 1437 रकबा 0.01 है0, 1438 रकबा 0.01 है0, 1439 रकबा 1.77 है0,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कुल किता 4, कुल रकबा 2.02 है0 स्थित ग्राम खेड़ी हैवत तहसील सूरौठ की खातेदारी देवीसिंह पुत्र किन्दूरी हि0 1/3, नाहरसिंह पुत्र किन्दूरी हि0 1/3, साहबसिंह पुत्र किन्दूरी हि0 1/3 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.23 है0, 1437 रकबा 0.01 है0, 1438 रकबा 0.01 है0, 1439 रकबा 1.77 है0, कुल किता 4, कुल रकबा 2.02 है0 स्थित ग्राम खेड़ी हैवत तहसील सूरौठ में सायलान हि0 2/3 भाग के एवं गैरसायल सं01 हिस्सा 1/3 भाग के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। सायलान उक्त विवादित आराजीयात का रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण अपने हिस्से की आराजीयात के बाबत दावे के निर्णय तक गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायल के पक्ष में साबित है। यदि गैरसायलान को दावे के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। इसलिए दावे के निर्णय तक उक्त विवादित आराजीयात में सायलान के हिस्से तक की भूमि के कब्जा काश्त में मजाहमत नहीं करने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि जिससे पक्षकारों के मध्य और आपसी विवाद व मुकदमेबाजी नहीं बढे। ऐसी स्थिति सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.23 है0, 1437 रकबा 0.01 है0, 1438 रकबा 0.01 है0, 1439 रकबा 1.77 है0, कुल किता 4, कुल रकबा 2.02 है0 स्थित ग्राम खेड़ी हैवत तहसील सूरौठ में सायलान के हिस्से तक की भूमि के कब्जा काश्त में मजाहमत नहीं करें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/11/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली